

फर्द अहकाम

प

वाबूलाल बनाम मौदरी

संख्या/वर्ष 01/2023 : _____ /20 _____

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
16/5/23	<p>आज दिनांक 16/5/23 को पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज कन्डोलेंस/कार्य बहिष्कार लिये जाने के कारण न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। पा.ओ.सा. अन्व कार्य में व्यस्त/अवकाश पर है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 8/6/23 को पेश हों।</p>	MRC
8/6/23	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उन्मयपरा उप० पत्रावली वास्ते वदस T.I हेतु दिनांक 4/7/23 को पेश हो।</p>	
4/7/2023	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उन्मयपरा उप० पत्रावली वास्ते वदस T.I हेतु दिनांक 7/7/2023 को पेश हो।</p>	

सहायक क्लर्क (फास्ट ट्रेक) आर.ए. मुख्यालय-जयपुर


सहायक क्लर्क (फास्ट ट्रेक) आर.ए. मुख्यालय-जयपुर



फर्द अहकाम
बाबूलाल बनाम श्रीमती मोहरी देवी वगै

प्रार्थना पत्र संख्या: 01/2023

क्रम संख्या	दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
07.07.2023	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की पैतृक कृषि भूमि है, जिसमें प्रार्थी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा है और वादीनी संख्या 2 से 4 का प्रत्येक का 1/12 - 1/12 हिस्सा है, इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का वादग्रस्त भूमि में बराबर 1/8 हिस्सा है, इसके अलावा वादग्रस्त भूमि के अन्य सह खातेदार लक्ष्मण व बंशी पुत्रान स्व. श्री बिरधा थे, जिनका 1/4 हिस्सा था, उक्त सभी वादग्रस्त भूमि में अपने हिस्से के अनुसार बाहमी बटवारे के आधार पर कब्जे काश्त व खातेदार है, जिनका मौके पर इसी अनुरूप निर्बाध रूप से कब्जा है। वादग्रस्त भूमि का विधिवत रूप से बंटवारा नहीं हुआ, सभी सहखातेदार अपने हिस्से के अनुसार मौके पर काबिज थे, जिसमें से सहखातेदार लक्ष्मण व बंशी ने बिना विधिवत् बंटवारे के अपना हिस्सा मौके के कब्जे के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 को बेचान कर दिया, जबकि नियमानुसार बिना बंटवारे के उक्त लक्ष्मण व बंशी को अपना हिस्सा बेचने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं था, इसके बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त लक्ष्मण व बंशी का 1/4 हिस्सा बिना विधिवत बंटवारे के खरीद कर लिया, जो की विधि की दृष्टि में अवैध व शून्य है। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने दिनांक 26.12.2022 को बिना विधिवत् बंटवारे के कृषि भूमि में आवासीय मकानात का निर्माण करना प्रारम्भ कर दिया, जब प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को ऐसा करने से मना किया और वादग्रस्त भूमि के विधिवत् बंटवारे के लिए निवेदन किया तो अप्रार्थी संख्या 1 से 3 व उनके परिवारजन प्रार्थीगण से नाराज हो गये और प्रार्थीगण के साथ झगड़ा-फसाद शुरू कर दिया, साथ ही प्रार्थीगण को ऐलानिया धमकी दी कि वे प्रार्थीगण की मौके पर कब्जाशुदा हिस्से पर भी निर्माण कार्य करेंगे, जबकि अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है, अप्रार्थी संख्या 1 व उसके परिवारजन ऊंची पहुँच वाले व बाहुबल वाले व्यक्ति है, जिन्होंने अवैधानिक तरीके से वादग्रस्त भूमि का 1/4 हिस्सा बिना बंटवारे के खरीद लिया और अब आये दिन प्रार्थीगण के हिस्से की कब्जेकाश्त की भूमि पर नाजायज कब्जा करने की नीयत से प्रार्थीगण के साथ झगड़ा फसाद करते है, जिसमें अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की मिलिभगत है, ऐसी परिस्थितियों में प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में वर्णित अनुसार वादग्रस्त भूमि का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन कराने के विधिक अधिकारी है। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने मौके पर बिना विधिवत बंटवारे 6. के कृषि भूमि में निर्माण कार्य प्रारम्भ</p>		


 महायुक्त कोलकता (फास्ट ट्रैक) आम्ने
 गुजरात-जयपुर

फर्द अहकाम

बाबूलाल बनाम श्रीमती मोहरी देवी वर्ग 0

प्रार्थना पत्र संख्या: 01/2023

कर दिया और जब प्रार्थीगण ने ऐसा करने से मना किया तो दिनांक 26.12.2022 को अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने प्रार्थीगण के साथ झगड़ा फसाद किया और मारपीट करने पर आमादा हो गये, जबकि अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को बिना बंटवारे के वादग्रस्त भूमि में आवासीय निर्माण करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है, उक्त वर्णित तथ्यों व परिस्थितियों में प्रथम दृष्टया केस प्रार्थीगण के पक्ष में पूर्णतया साबित है क्योंकि प्रार्थीगण का वादग्रस्त सम्पत्ति पर अपने पूर्वजों के समय से ही राजस्व रिकार्ड में वर्णित अनुसार व बाहमी बंटवारे के आधार पर अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा काशत है। सुविधा का संतुलन भी पूर्णतया प्रार्थीगण के पक्ष में है, क्योंकि प्रार्थीगण राजस्व अभिलेख में वर्णित अनुसार वादग्रस्त सम्पत्ति के अपने हिस्से के विधिपूर्ण स्वामी है जबकि इसके विपरीत अप्रार्थीगण का प्रार्थीगण के हिस्से की सम्पत्ति से किसी प्रकार से कोई सम्बन्ध या सरोकार नहीं है उक्त वर्णित परिस्थितियों में यदि दौराने वाद वांछित अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश से यदि अप्रार्थीगण को पाबन्द नहीं किया गया तो अप्रार्थीगण नाजायज तरीके से संयुक्त सहखातेदारी की भूमि में बिना बंटवारे के निर्माण कर लेंगे और जबरदस्ती प्रार्थीगण को बेदखल कर देंगे, जिससे, प्रार्थीगण को ऐसी अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी रूप में सम्भव नहीं हो सकेगी तथा अप्रार्थीगण अपने कुत्सित इरादों में कामयाब हो जावेंगे। इसलिए अपूर्तनीय क्षति का बिन्दु भी पूर्णतया प्रार्थीगण के पक्ष में साबित है।

दौराने बहस अप्रार्थी अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 उक्त आराजीयात के सहखातेदार काशतकार है तथा भूमि को मौके पर केवल काशत करने की सुविधा के लिये अलग अलग हिस्सा कर रखा है। आज तक किसी भी प्रकार का मौके पर बहामी बंटवारा नहीं किया गया है। तथा मौके पर प्रतिवादीगण भी जमाबंदी में दर्ज हिस्सेनुसार भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। मौके पर अप्रार्थीगण अपने हिस्सेनुसार काबिज है एक सहखातेदार को बिना बंटवारा करवाये भूमि को विक्रय करने का अधिकार प्राप्त नहीं है गलत है कानूनन एक सहखातेदार अपना सम्पूर्ण हिस्सा विक्रय करने के लिये स्वतंत्र है। सम्पूर्ण हिस्से का विक्रय पत्र किसी भी प्रकार से अवैध व शुन्य नहीं है अप्रार्थी संख्या 1 सदभाविक क्रेता है तथा क्रय के समय से ही अपने हिस्से पर काबिज होकर भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रही है। दिनांक 26-12-2022 को किसी प्रकार का वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि जब वादी द्वारा वाद पत्र के पूर्व मंदो में भूमि का बहामी बंटवारा करना व बंटवारेनुसार वादी अपने हिस्से पर काबिज करना स्वीकार कर रहा है तो उत्तरदाता द्वारा स्वयं के हिस्से का उपयोग उपभोग करने व निर्माण करने हेतु स्वतंत्र है।

सहायक कमिश्नर (फर्द रोक) बाबरी


फर्द अहकाम
बाबूलाल बनाम श्रीमती मोहरी देवी वगै०

प्रार्थना पत्र संख्या: 01/2023

तथा यह अभिकथन काल्पनिक उल्लेख किया है कि वादी के कब्जेशूदा भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण किया जा रहा वादी द्वारा अस्पष्ट वाद पेश किया है कि किस खसरा नम्बर पर अप्रार्थी द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 एक महिला है जिसके द्वारा अपने हिस्से की भूमि पर का उपयोग उपभोग करती आ रही है तथा भूमि का जवाब दावे के साथ सलग्न नजरीनक्शेनुसार विभाजन किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है यहाँ यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि भूमि के खसरा नम्बर 544, 547, 549 में भारतीय पेट्रोलियम गैस पाईप लाईन भूमिगत है जिसके क्षेत्र में आने वाला रकबा सभी सहखातेदारों के हिस्से में बाँट तकामसा दिया जाना आवश्यक है। किसी भी प्रकार का अतिक्रमण वादीगण के कब्जे काशत में नहीं किया जा रहा है एक सहखातेदार को किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है।

बहस उभय पक्षकारान पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर हमने पाया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण उक्त वादग्रस्त आरांजी भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार काशतकार है, प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विभाजन का है यदि उभयपक्षकारान में से किसी एक खातेदार के द्वारा किसी विशिष्ट भू-भाग का निर्माण या बेचान कर देने से वादग्रस्त भूमि का स्वरूप परिवर्तन होने की संभावना है जिससे प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी, ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित हैं इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 05.01.2023 को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो मूल वाद के हमफिता रहे।


सहायक क्लर्क (फास्ट ट्रैक) आम्बर
मुध्यालय-जयपुर